

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2879

जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना में हताहत

2879. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले दस वर्षों के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं और उनमें हुई मौतों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले दस वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारण स्थायी रूप से विकलांग लोगों की संख्या कितनी है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार द्वारा अपने वार्षिक प्रकाशन 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, कैलेंडर वर्ष 2013 से 2022 तक देश में सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और घायल हुए व्यक्तियों की कुल संख्या अनुबंध-I में संलग्न है।

(ख) सरकार सड़क दुर्घटनाओं के कारण स्थायी रूप से दिव्यांग हुए लोगों की संख्या के बारे में जानकारी संकलित नहीं करती है। तथापि, सरकार द्वारा 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ' पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2013 से 2022 तक देश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-II में संलग्न है।

‘सड़क दुर्घटना में हताहत’ के संबंध में श्री दीपक अधिकारी (देव) द्वारा 12 दिसंबर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2879 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कैलेंडर वर्ष 2013 से 2022 तक देश में सड़क दुर्घटनाओं, सड़क दुर्घटना में मृत्यु और सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	कुल मौतों की संख्या	कुल घायलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	251576	86035	276996
2	अरुणाचल प्रदेश	2445	1328	3129
3	असम	73546	27548	63983
4	बिहार	94988	63041	68141
5	छत्तीसगढ़	134140	45031	123279
6	गोवा	36466	2810	15621
7	गुजरात	193376	75738	180034
8	हरियाणा	106799	48326	93432
9	हिमाचल प्रदेश	28554	11154	48176
10	झारखंड	50981	32308	38523
11	कर्नाटक	409641	106544	508509
12	केरल	374776	40389	420061
13	मध्य प्रदेश	518241	104874	540344
14	महाराष्ट्र	420655	130613	320262
15	मणिपुर	5780	1343	9734
16	मेघालय	4554	1640	2970
17	मिजोरम	837	706	1100
18	नगालैंड	3559	474	2402
19	ओडिशा	106046	47483	108553
20	पंजाब	62629	46150	37989
21	राजस्थान	226372	102712	230136
22	सिक्किम	1918	713	3344
23	तमिलनाडु	640336	165847	688024
24	तेलंगाना	192531	63396	197380
25	त्रिपुरा	5968	1985	8216
26	उत्तराखंड	14364	8911	14643
27	उत्तर प्रदेश	367287	197283	255600
28	पश्चिम बंगाल	137139	59492	124784
29	अंडमान और निकोबार द्वीप	1984	216	2278

30	चंडीगढ़	3190	1069	2730
31	दादरा एवं नगर हवेली	968	342	1221
32	दमन और दीव	463	225	528
33	दिल्ली	64997	15337	61771
34	जम्मू और कश्मीर	57457	9070	76592
35	लद्दाख	610	118	588
36	लक्षद्वीप	19	5	20
37	पुदुचेरी	13739	1930	14713
कुल (संपूर्ण भारत)		46,08,931	15,02,416	45,45,806

नोट:

1. दमन और दीव का डेटा 2020 से दादरा और नगर हवेली में शामिल किया गया है।
2. पश्चिम बंगाल के लिए कैलेंडर वर्ष 2015 से 2017, 2019 और 2020 और तमिलनाडु के लिए कैलेंडर वर्ष 2017 से 2020 के लिए संबंधित राज्य द्वारा डेटा का शामिल किया गया है।

अनुबंध- II

‘सड़क दुर्घटना में हताहत’ के संबंध में श्री दीपक अधिकारी (देव) द्वारा 12 दिसंबर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2879 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कैलेंडर वर्ष 2014 से 2022 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र . सं .	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गंभीर रूप से घायल व्यक्ति
1	आंध्र प्रदेश	57,872
2	अरुणाचल प्रदेश	1,706
3	असम	48,630
4	बिहार	49,666
5	छत्तीसगढ़	19,324
6	गोवा	2,680
7	गुजरात	81,434
8	हरियाणा	22,263
9	हिमाचल प्रदेश	10,345
10	झारखंड	25,590
11	कर्नाटक	2,07,997
12	केरल	2,62,747
13	मध्य प्रदेश	58,884
14	महाराष्ट्र	1,78,347
15	मणिपुर	2,170
16	मेघालय	1,437
17	मिजोरम	389
18	नगालैंड	837
19	उड़ीसा	53,200
20	पंजाब	22,547
21	राजस्थान	55,209
22	सिक्किम	1,205
23	तमिलनाडु	92,282
24	तेलंगाना	26,797
25	त्रिपुरा	6,821
26	उत्तराखंड	10,187
27	उत्तर प्रदेश	1,53,789
28	पश्चिम बंगाल	80,507
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	616
30	चंडीगढ़	128
31	दादरा एवं नगर हवेली	800

32	दमन और दीव	309
33	दिल्ली	5,071
34	जम्मू और कश्मीर	28,230
35	लद्दाख	79
36	लक्षद्वीप	11
37	पुदुचेरी	5,240
कुल		15,75,346

- नोट: 1. कैलेंडर वर्ष 2013 के लिए गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
2. दमन और दीव का आंकड़ा 2020 से दादरा और नगर हवेली में शामिल किया गया है
3. पश्चिम बंगाल में कैलेंडर वर्ष 2015 से 2017, 2019 और 2020 तथा तमिलनाडु में कैलेंडर वर्ष 2017 से 2020 के सड़क दुर्घटना आंकड़ों का संबंधित राज्यों द्वारा मिलान किया गया है।
